न्यायालय सिविल जज(जू०डि०), घाटमपुर, कानपुर देहात

मूलवाद सं० 123/2022

UPRN180023842022

छिद्दू उर्फ छेदालाल बनाम रञ्जनलाल आदि

दिनांक – 17/10/2024

निस्तारण प्रार्थना पत्र 18 ग 2 आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सी०पी०सी०

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 18 ग 2 आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० प्रस्तुत कर मुख्यतः कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण विधि विरुद्ध तरीके से वादी मुकदमा के शान्तिपूर्ण कब्जा व दखल वाले विवादित भूखण्ड/भवन पर विधि विरुद्ध तरीके से जबरन कब्जा व निर्माण कराकर विवादित स्थल की प्रकृति को परिवर्तित करने पर अमादा हैं। ऐसी स्थिति में विवादित स्थल के संबंध में अधिवक्ता आयुक्त से निरीक्षण आख्या मंगाये जाने हेतु याचना की गयी है।

प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी की आराजी निजाई की मौके की स्थिति के संबंध में अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त कर आख्या मंगाये जाने का कथन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का प्रार्थना पत्र 18 ग 2 आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० स्वीकार किया जाता है। तथा लिस्ट के अनुसार अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उनको आदेशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को मौके पर अपनी उपस्थिति की सूचना देने के पश्चात प्रश्नगत विवादित आराजी निजाई के संबंध में अपनी आख्या इस न्यायालय के समक्ष नियत तिथि तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वादी उक्त के संबंध में पैरवी करे। पत्रावली वास्ते अधिवक्ता आयुक्त आख्या दिनांक 18/12/2024 को पेश हो। लिस्ट के अनुसार कमीशन आयुक्त को परवाना जारी हो।

(इन्दिरा दानू)
सिविल जज(जू०डि०)
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3349

Digitally signed by INDIRA DANU
Date: 2024.10.17 15:00:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court